>

Title: Need to pass the pending legislation for providing proper medication to HIV/AIDS affected people.

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): महोदय, मैं सरकार का ध्यान हमारे देश में एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों की दयनीय स्थिति की तरफ दिलाना चाहता हूं। अभी हालत यह है कि एच.आई.वी. से संक्रमित होने के कारण बच्चों को स्कूलों से और संक्रमण से पीड़ित कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाता है और महिलाओं को अधिक उपेक्षा, भेदभाव और न समाप्त होने वाले अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। अस्पतालों में डाक्टर उनका इलाज करने से हिचकिचाते हैं। जीवन की संवैधानिक गारंटी, स्वास्थ्य, समानता और मानवता का समर्थन करने वाली सरकारी नीतियों के बावजूद भारत में एच.आई.वी. नामक महामारी तेजी से फैलती जा रही है। यदि हमें इस महामारी से सफलतापूर्वक निपटना है तो इन स्थितियों का सामना करने के लिए एक स्पष्ट कानून की जरूरत है।

सन् 2007 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक विधेयक का प्रारूप लंबी प्रक्रिया के बाद तैयार किया था। लेकिन यह विधेयक अभी तक विधि और न्याय मंत्रालय में विचाराधीन पड़ा हुआ है।

ऐसी स्थिति में मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों के समुचित इलाज की व्यवस्था की जानी चाहिए और उनके मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए जो विधेयक सरकार के विचाराधीन है उसको शीघ्र से शीघ्र सदन में लाकर पारित किया जाना चाहिए।

* Treated as laid on the Table.